भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 245

गुरूवार, **3** फरवरी, 2022/14 माघ**,** 1943 (शक)

बेरोजगारों के उत्थान के लिए कार्यक्रम

245**.** श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोविड-19 के कारण जनित बेरोजगारी के कारण अब तक गरीबी रेखा से नीचे चले गए व्यक्तियों और परिवारों की संख्या के बारे में सरकार के मूल्यांकन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है**;** और

(ख) बेरोजगार युवाओं के उत्थान के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रमों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): रोजगार एवं बेरोजगारी पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)**,** सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2017 से आयोजित किए जाते हैं। 2019-20 की नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार**,** सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध- **I** पर दिया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार**,** भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और सूक्ष्म**,** लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)**,** ग्रामीण विकास मंत्रालय की पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)**,** आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार**,** जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं **,**को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। एमजीनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रु. प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है जिससे 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड 19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मानिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु वेतन का कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान करने में सहायता मिली है।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान ने 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन प्राप्त किया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया 20.01.2022 तक 1.26 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 46.74 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत 28.01.2022 तक 28.95 लाख लाभार्थियों को 2946.88 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत 21.01.2022 तक 32.12 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति भी उन्मुख हैं।

*****

अनुबंध-।

राज्य सभा के दिनांक 03.02.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 245 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोज़गारी दर (यूआर)
आयु वर्ग के लिए: 15 वर्ष और उससे अधिक (प्रतिशत में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**ग्रामीण + शहरी**
	व्यक्ति
आंध्र प्रदेश	4.7
अरुणाचल प्रदेश	6.7
असम	7.9
बिहार	5.1
छत्तीसगढ	3.3
दिल्ली	8.6
गोवा	8.1
गुजरात	2.0
हरियाणा	6.4
हिमाचल प्रदेश	3.7
झारखंड	4.2
कर्नाटक	4.2
केरल	10.0
मध्य प्रदेश	3.0
महाराष्ट्र	3.2
मणिपुर	9.5
मेघालय	2.7
मिजोरम	5.7
नागालैंड	25.7
ओड़िशा	6.2
पंजाब	7.3
राजस्थान	4.5
सिक्किम	2.2
तमिलनाडु	5.3
तेलंगाना	7.0
त्रिपुरा	3.2
उत्तराखंड	7.1
उत्तर प्रदेश	4.4
पश्चिम बंगाल	4.6
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	12.6
चंडीगढ़	6.3
दादर और नगर हवेली	3.0
दमन और दीव	2.9
जम्मू और कश्मीर	6.7
लद्दाख	0.1
लक्षद्वीप	13.7
पुड्डुचेरी	7.6
अखिल भारतीय	4.8

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस, 2019-20; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय